बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 12नि०/प०ग०(लो०सू०विविध) 06/2019 दिनांक– ..../2025

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)
पशुपालन निदेशालय।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।
परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना।
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।
सभी विशेष उप निदेशक पशु विकास, बिहार।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार
गोशाला विकास पदाधिकारी, पटना।
सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना।
परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बांका/पूर्णियाँ।
बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना।
मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमरांव, (बक्सर)।
प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरांव।

विषयः– **बिहार सूचना आयोग द्वितीय अपील वाद संख्या–A 8149/2022, श्री पंकज बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया (प० चम्पारण) में दिनांक– 13.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :– बिहार सूचना आयोग, पटना ज्ञापांक–3503 दिनांक–21.05.2025.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार सूचना आयोग, पटना के ज्ञापांक–3503, दिनांक–21.05.2025 के साथ संलग्न लोक सूचना पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक– 08 दिनांक–21.02.2021 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार राज्य सूचना आयोग के द्वितीय अपील वाद में पारित आदेश का अनुपालन करते हुये, अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को बिहार सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए भविष्य में किसी भी लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अमर्यादित भाषा को प्रयोग नहीं करने तथा ससमय सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)

ज्ञापांक– 12नि०/प०ग०(लो०सू०विविध) 06/2019 2460 नि० पटना–15 दिनांक– 10/07/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई०टी० मैनेजर को उक्त सभी को ई०मेल एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/7/25

संयुक्त निदेशक (प०स्वा०)।

362

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

पत्रांक-21/रा॰सू॰आ॰-06/2025,सा॰प्र॰ 11494

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो॰ आफाक अहमद
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना–15, दिनांक 25-06-2025

विषय– **बिहार सूचना आयोग के द्वितीय अपील वाद संख्या–A 8149/2022, श्री पंकज बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार ,पटना/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया (प॰ चम्पारण) में दिनांक 13.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग – **बिहार सूचना आयोग, पटना ज्ञापांक 3503 दिनांक 21.05.2025**

महाशय,

निदेशानुसा उपर्युक्त विषयक बिहार सूचना आयोग, पटना के ज्ञापांक 3503 दिनांक 21.05.2025 के साथ संलग्न लोक सूचना पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक 08 दिनांक 21.02.2021 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को बिहार सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए भविष्य में किसी भी लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करने तथा ससमय सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु॰यथोक्त।

विश्वासभाजन,
25/6/25
(मो॰ आफाक अहमद)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अपर सचिव
निदेशक, पशुपालन/गव्य/मत्स्य
निदे॰ कृपया

27 JUN 2025
3567

30 JUN 2025
5963
निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना

676
02.07.25

बिहार सूचना आयोग

चौथा तल्ला, सूचना भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग(बेली रोड), बिहार, पटना–800015
दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466 / वेबसाइट–www.sic.bih.nic.in

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
23 MAY 2025

वाद सं०– **A 8149/2022**

श्री पंकज

बनाम्

प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लोक सूचना पदाधिकारी–सह–सहायक प्रध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण–

13.05.2025

अपीलार्थी	अपीलार्थी की ओर से श्री मणिलाल उपस्थित हैं।
लोक सूचना पदाधिकारी	डॉ0 नरेश प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिमी चंपारण एवं श्री मनीष कुमार, उ0व0लि0 उपस्थित हैं।
आवेदन पत्र–क दायर करने की तिथि	07.12.2020
प्रथम अपील दायर करने की तिथि	27.01.2021

विदित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को सशक्त बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी है कि जो सूचना मांगी जा रही है, उसे ससमय उपलब्ध करायी जाय तथा इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक सूचना पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि वे पूर्ण रूप से सूचना उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।

प्रस्तुत मामले में लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना विलंब से अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के लिए चेतावनी दी जाती है। तत्तकालीन लोक सूचना पदाधिकारी आयोग में आने में असमर्थ है, क्योंकि उनका पैर टूट गया है औरे वे साढ़े तीन साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके है। इस संबंध में उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट भी आयोग को प्रेषित किया है। लेकिन तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चंपारण द्वारा पत्रांक 08 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को दी गई सूचना में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह सूचना के अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है एवं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर आवेदक को सूचना देना दंडनीय भी है। **अतः उक्त पत्रांक 08 दिनांक 11.02.2021 की प्रति अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाती है तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि दी गई सूचना में इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई लोक सूचना पदाधिकारी भविष्य में नहीं करें**, इसके लिए आवश्यक दिशा–निर्देश राज्य के सभी विभागों को देना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय, ताकि

सभी लोक सूचना पदाधिकारी इसे देख सकें और आवेदक को ऐसी जानकारी या सूचना में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बच सकें। इस निदेश के साथ वाद को निस्तारित किया जाता है।''

360

ह०/–
(प्रकाश कुमार)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक सी0–4/3503/रा०सू०आ०पटना, दिनांक–21/05/2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (पत्रांक–08 दिनांक–11.02.2021 की छायाप्रति संलग्न)/प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण–845438 (अपने स्तर से संबंधित को इस आदेश से अवगत करायें)/उपाधीक्षक–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया, प0 चम्पारण–845438/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–सहायक प्रध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण–845438/श्री पंकज, पिता–स्व0 विश्वनाथ सिंह, न्यू कॉलोनी, डाक बंगला रोड, पो0–बेतिया, पश्चिम चम्पारण–845438 मो0–9470091177 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नोटः– पक्षकार सुनवाई में वर्चुअल मोड से अथवा स्वयं उपस्थित होकर भाग ले सकते है। दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। वर्चुअल मोड से सुनवाई में भाग लेने के लिए लिंक निम्न हैः–**sic.bihar.gov.in**)

अनु0ः–यथोक्त।

15.5.25

(शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रशाखा पदाधिकारी

15/05

(नोट–''इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार/मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु आधिकारिक ई–मेल **reply.bic@bihar.gov.in** पर ही स्वीकार्य किये जायेंगें।'')

359

कार्यालयः— लोक सूचना पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया,पश्चिम चम्पारण।

पत्रांक 08 /

प्रेषक,

डा0 प्रमोद कुमार
सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग सह लोक सूचना पदाधिकारी
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

सेवा मे,

श्री पंकज
न्यू कॉलनी, डाक बंगला रोड
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

बेतिया, दिनांक 11.02.2021

विषय — सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपका पत्र दिनांक — 25.01.21 द्वारा माँगी सूचना जो चिकित्सकों की आवासीय सूचना से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके द्वारा आवासीय पता माँगने का (Intention) उद्येश्य क्या है इसकी सूचना लिखित रूप से दे क्योंकि अगर इस संस्थान में कार्यरत चिकित्सकों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना/दुर्घटना घटती है तो आपसे भी पूछ—ताछ की जायेगी एवं आपके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती हैं।

ह0/-
डा0 प्रमोद कुमार 11/2/21
सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग
सह लोक सूचना पदाधिकारी,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।
03.02.21

स्व-अभिप्रमाणित
पंकज
24/12/21

12
ज्ञा0 शाखा